न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 60/2022 तारीख रजू :– 07.10.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी (आर.ए.एस.)

1. सरदार पुत्र भौरया, जाति गुर्जर, निवासी मोरडा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0

सायल

बनाम

1. बदनसिंह } पि. जगन
2. हरिसिंह
3. फुलवती पुत्री जगन
4. शिवचरण } पि. बद्री
5. अतरसिंह
6. निहालसिंह
7. बब्बू
8. केशुला पुत्री बद्री

(1 से 8) समस्त जाति गुर्जर, निवासी मोरडा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज.

9. तहसीलदार तह0 टोडाभीम
10. नायब तहसीलदार/ उपपंजीयक सब तहसील बालघाट।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– दिलावर सिंहं एडवोकेट

2. अभिभाषक अप्रार्थी:– सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट 4,5,6,7,8,

निर्णय दिनांक– 19.1.26

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है यह है कि आराजी ख0नं0 386/0.13, 387/0.16, 388/0.37, 1674/0.11, 1745/0.12, 1746/0.32 कुल किता 6 कुल रकबा 1.31 है0 ग्राम मोरडा तह0 टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। जिसकी खातेदारी गैरसायल नं0 1 ता 3 बहिस्सा 1/6 तथा जगन बद्री पि. भौरया बहिस्सा 1/2 के नाम दर्ज है। आराजीयात मुतजिक्रा मद नं0 1 प्रार्थना पत्र सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटिलमेन्ट साबिक ख0नं0 315 रकवा 2 बीघा 4 बिस्वा, 314 रकवा 1 बीघा 9 बिस्वा, 316 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा तथा ख.नं. 323 रकवा 1 बीघा 11 बिस्वा से बनाकर अंकित किया है। जिसकी खातेदारी सायल के पिता भौरया पुत्र छोटया तथा बाबा छोटया पुत्र हरबक्श के नाम बहिस्सा बराबर थी।

यह है कि सायल एवम गैरसायलान एक ही परिवार एक ही बुजुर्ग सन्ताने है। जिनका सजरा निम्म है :–

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

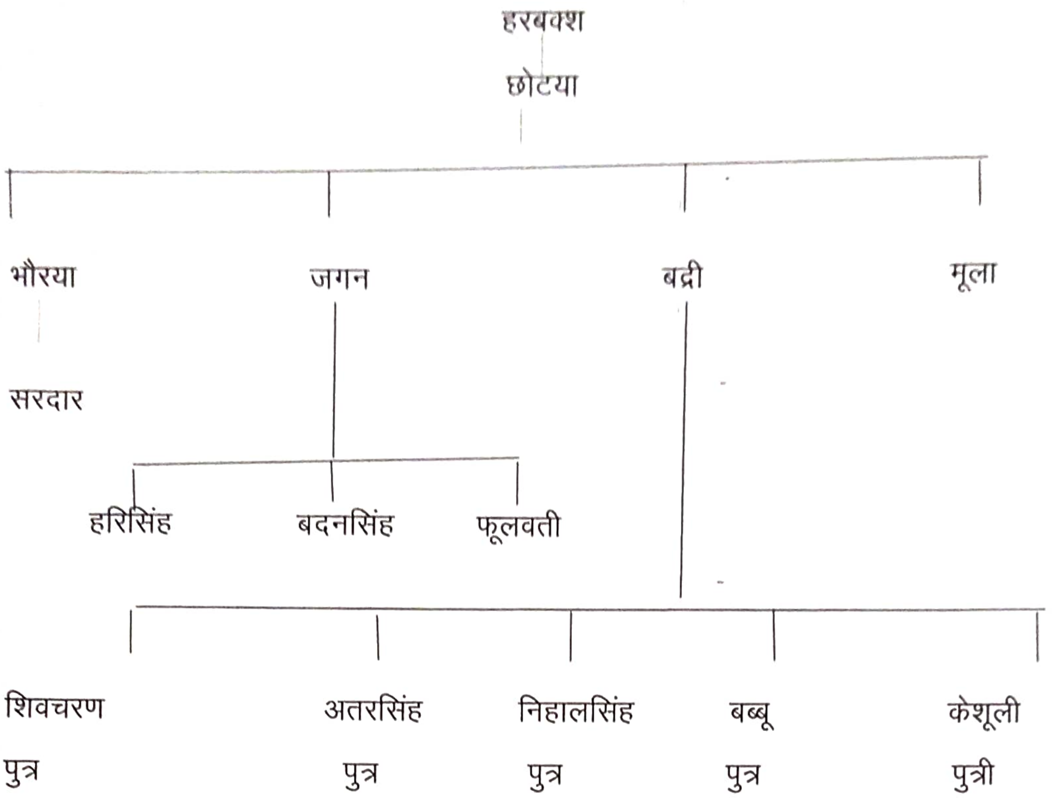

उक्त आराजी विवादग्रस्त साबिक ख0नं0 314, 315, 316, 323 पूर्व सायल के पिता भौरया पुत्र छोटया तथा बाबा छोटया पुत्र हरबक्श के नाम रही है जो जमाबन्दी संवत् 2026 से 2030 में भली भांति अंकित है। सायल के पिता की मृत्यु सायल के बाबा छोटया से पूर्व हो गयी थी तथा सायल के पिता की मृत्यु के समय सायल की उम्र कम थी तथा सायल के पिता भौरया पुत्र छोटया की मृत्यु के बाद उनकी विरासत सायल की बजाय नामान्तकरण संख्या 806 दिनांक 19.04.1975 को गैरसायल के पिता जगन बद्री के नाम खोल दिया। जबकि जगन व बद्री का सायल के पिता भौरया से कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही था। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण बमुकाबले सायल नल एण्ड बोइड है तथा भौरया के हिस्से की आराजी अपने नाम कराने का मुस्तहक है।

आराजी विवादग्रस्त ख0नं0 314, 315, 316, 317 में सायल के पिता भौरया के फौत होने के बाद उक्त आराजी की विरासत सायल के बजाय गैरसायल के पिता जगन व बद्री को पुत्र मानते हुए नामान्तरकरण खोला गया तथा इसी आराजी में छोटया पुत्र हरबक्श की विरासत का नामन्तकरण खोलते समय भी जगन बद्री मूला पि. छोटया अंकित किया गया। इसके साफ जाहिर है कि जगन बद्री के नाम भौरया की विरासत गलत खोली है। वह बमुकाबले सायल नल एण्ड बोइड है मौके पर कोई विवाद नहीं है। सायल अपने 1/2 हिस्से पर काबिज एवं दखील है। लेकिन खातेदारी का बेजा फायदा उठाकर गैरसायल सायल को अपने 1/2 हिस्से से बेदखल करने पर उतारू है।

बाका दिनांक 29.06.2023 को सुबह करीब 9 बजे का है कि सायल अपनी आराजी में फसल की बुवाई करवा रहा था कि गैरसायल एक राय होकर आ गये तथा कहने लगे कि उक्त आराजी को हक काश्त करेगे क्योकि उक्त आराजी हमारे नाम है। इस पर सायल द्वारा ये कहने पर कि भाईयो ये तो उक्त आराजी को 30 सौ वर्ष से काश्त कर रहा हूँ। तथा उक्त आराजी मेरे पिता भौरया की है। जो मुझे विरासत में मिली है तथा उसका तुम्हे भली भांति

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

जानकारी है। लेकिन वे एक मानने को तैयार नही है। जैसे तैसे उनसे अनुनय विनय कर आराजी की बुवाई करवाकर रेवन्यू रिकॉर्ड की जानकारी की तो उक्त बातो का पता चला है। खातेदार जगन, बद्री पि. छोटया फौत हो चुके है। जिनकी विरासत प्रतिवादी के नाम खुल चुकी है। मूला पुत्र छोटया का हिस्सा दर्ज है। जबकि सायल के पिता की विरासत गलत रूप से जगन, बद्री पि. भौरया के नाम दर्ज है। उनका नाम हजफ करके वादी अपने नाम कराने का हकदार है। रेवन्यू रिकॉर्ड की गलती को दुरूस्त करवाने सब तहसीलदार बालघाट के पास उनके कार्यालय में आया तथा संशोधन करने का निवेदन किया तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया तथा अदालत में दावा पेश करने को कहा है। यह है कि प्राईमा फेसी केश सायलान के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगा

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे आराजी ख0नं0 386 / 0.13, 387 / 0.16, 388 / 0.37, 1674 / 0.11,1745 / 0.12, 1746 / 0.32 कुल किता 6 कुल रकवा 1.31है0 ग्राम मोरडा तह0 टोडाभीम जिला करौली में सायल के कब्जे काश्त आराजी में मजाहमत मदाखलत नही करे, सायल को बेदखल कर कब्जा नही करे आराजी को खुर्द बुर्द नही करे सायल को काश्त करने से नही रोके, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे, जिससे हकूक सायल पर प्रतिकूल प्रभाव पडे मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है अप्रार्थी नं0 4,5,6,7,8 की और से श्री सुनील कुमार जिन्दल एड0 उपस्थित हुये। अप्रार्थी 9,10 की और पैरौकार सरकार उपस्थित, अप्रार्थी 1 ता 3 बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी नं0 4 ता 8 कि और से जबाब इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र मद नम्बर 1 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय में गलत पेश किया जाना स्वीकार है, जिसमें सायल को कभी सफलता नहीं मिल सकती है।

प्रार्थना पत्र आराजीयात का ग्राम मोरडा में स्थित होना स्वीकार है, जिसकी खातेदारी गैरसायलान व मूल्या पुत्र छोटया व जगन, बद्री के नाम जमाबंदी में खातेदारी दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र के साविक खसरा नम्बर दर्ज होना स्वीकार है, लेकिन उक्त आराजी भौरया पुत्र छोटया के नाम दर्ज होना स्वीकार नहीं है। ना ही सायल के पिता का नाम भौरया है, बल्कि सायल के पिता का नाम जगन है। सायल व गैरसायला नम्बर 1 ता 3 सगे भाई बहिन हैं, जो जगन की औलाद है। भौरया लाऔलिाद फौत होने के पश्चात भौरया के वारिसान उसके सगे भाई जगन, बद्री व मूल्या है।

प्रार्थना पत्र दर्ज सजरा जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायल सरदार भौरया का पुत्र नहीं है, बल्कि जगन का पुत्र है। तथा सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 4 में दर्ज सजरे में मूला के कोई औलाद नहीं बताई है, जबकि मूला के भगवान सिंह व लक्ष्मण दो पुत्र मौजूद है। सायल ने अपने सजरे में स्वयं को भौरया का पुत्र बता रखा है, जबकि सायल जगन का पुत्र है, जिसका रिकॉर्ड निर्वाचक नामावली 2004 ग्राम मोरडा के भाग संख्या 72 के क्रम संख्या 397 पर तथा ग्राम पंचायत मोरडा के राशन कार्ड रजिस्टर रिकॉर्ड 2005–2006 में क्रम संख्या 464 पर तथा विधान सभा टोडाभीम की निर्वाचक नामावली सन् 1993 के भाग संख्या 65 के क्रम संख्या 380 तथा निर्वाचक नामावली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

2014 ग्राम मोरडा भाग संख्या 138 के क्रम संख्या 538 में सायल सरदार के पिता का नाम जगन दर्ज है। जबकि सायल व गैरसायलान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है।:–

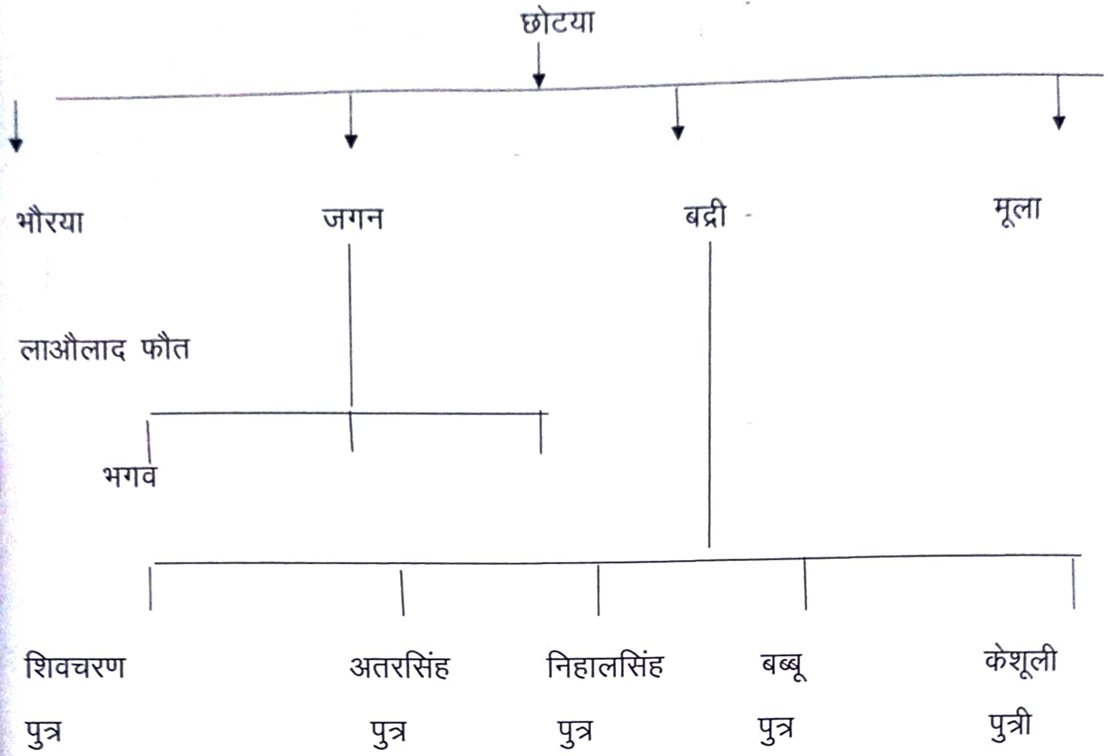

प्रार्थना पत्र में प्रकार तहरीर किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। सायल का यह कहना गलत है कि सायल के पिता का नाम भौरया हो और यह कहना भी गलत है कि भौरया की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण सायल के नाम खोला जाना चाहिए था, बल्कि सही बात यह है कि भौरया लाऔलाद फौत होने के पश्चात उसके वारिसान उसके सगे भाई है और उसी के मुताबिक उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र पर सायल व गैरसायला नम्बर 1 ता 3 का 1/3 हिस्से पर तथा गैरसायला नम्बर 4 ता 8 का 1/3 हिस्से पर तथा मूला के वारिसान भगवान सिंह व लक्ष्मण 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। सायल स्वयं को भौरया का गलत रूप से पुत्र बताकर भौरया के हिस्से वाली जमीन को उक्त मुकदमें के माध्यम से हडपना चाहता है, जिसकी कानूनन इजाजत नहीं दी जा सकती है।

प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 7 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। सायल का यह कहना गलत है कि सायल आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त हो। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

यह है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 29.06.2023 को या कभी भी सायल व गैरसायलान के मध्य उक्त मद में दर्ज बातें नहीं हुई है। सायल भौरया का लडका नहीं है। ना ही सायल भौरया की सम्पूर्ण आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है। सायल ने भौरया का स्वयं को पुत्र बताकर गलत दावा पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत होने के कारण अस्वीकार है, क्योंकि सायल का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है इसलिये ना तो सायल का प्राइमाफेसी केस

उपखण्ड अधिकारी [illegible]
टोडाभीम, जिला-करौली

साबित है, ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति ही सायल के पक्ष में साबित है, बल्कि उक्त तीनों ही बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को भारी क्षति होगी, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से सायल को किसी भी प्रकार की क्षति होने की कोई संभावना नही है। सायल का मौके पर कब्जा नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में खातेदार मूला पुत्र छोटया व उसके वारिसान को मुकदमा हाजा में पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि सायल ने उक्त आराजीयात के सम्पूर्ण जमीन की खातेदारी चाही है तथा कानूनन खातेदार को सुने बिना व पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है। कि सायल ने स्वयं, को भौरया का गलत पुत्र बताकर दावा हाजा पेश किया है, जबकि सायल भौरया का पुत्र नही होकर जगन का पुत्र है। सायल गैरसायला नम्बर 1 ता 3 का सगा भाई है, जिन्होने मिलकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा सायल ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमें सायल भौरया का पुत्र हो, जबकि समस्त सरकारी रिकॉर्ड जैसे परिवार कार्ड, निर्वाचक नामावली, पहचान पत्र वगै0 में वादी को जगन का पुत्र दर्ज कर रखा है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है।

सायल ने स्वयं को भौरया का गलत पुत्र बताते हुऐ साविक खसरा नम्बर 1554/2253/3 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा, 1554/2253/4 रकवा 1 बीघा, 1554/2253/5 रकवा 1 बीघा, 1554/2253/6 रकवा 15 विस्वा का नामान्तकरण संख्या 844 तारीखी 11.06.1977 गलत रूप से खुलवा कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली, जिसकी अपील गैरसायला नम्बर 04 ता 08 व मूला के वारिसान भगवान सिंह व लक्ष्मण सिंह द्वारा दिनांक 19.09.2016 को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश कर रखी है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस बिना पर प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है।

सायल ने नामान्तकरण संख्या 806 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। सायल यदि नामानतकरण संख्या 806 से व्यथित है तो सायल को नामान्तकरण संख्या 806 तारीखी 19.04.1975 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है। तथा सायल द्वारा उक्त आराजीयात के संबंध में पूर्व में न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया इसलिए सायल का प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेट सिद्धान्त के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

मैने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो, का अवलोकन किया। अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्राम मोरडा के आराजी ख0न0 386/0.13, 387/0.16, 388/0.37, 1674/0.11, 1745/0.12, 1746/0.32 कुल किता 6 कुल रकबा 1.31 में अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। अत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक : 9.1.26 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अमन चौधरी R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली